

आवंटन

आयोजनागत—अनुदान सं0—14

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे.

उप निदेशक(पं0) / आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

संख्या—1 / शा० / 101 / 2014—1 / 69 / 2014 : लखनऊ: दिनांक ०१ नवम्बर, 2014

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 में अनुदान संख्या—14 आयोजनागत मद में पिछ़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपद को प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने विषयक।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या—14 / 3285 / ३३—३—२०१४— १००(१५) / २०१३, दिनांक २८ नवम्बर, २०१४ (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद बांदा एवं एटा के लिए प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014—15 के अनुदान संख्या—14 आयोजनागत मद के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखाशीषकवार / निकायवार / पंचायतवार संलग्न फॉट के अनुसार कुल रु०—३२,६८,००,०००/- (रुपया बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख मात्र) की धनराशि उक्त रांदर्भित शासनादेश दिनांक २८ नवम्बर, २०१४ में इंगित निर्देशों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न प्रकार आवंटित की जाती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि रूपये में)

क०सं०	जनपद का नाम	लेखाशीषक	धनराशि
१	२	३	४
१	बांदा	2575021920300—35	33440000
२		2575021960300—35	26752000
३		2575021970300—35	13376000
४		2575021980300—35	93632000
		योग	167200000

(धनराशि रूपये में)

क०सं०	जनपद का नाम	लेखाशीषक	धनराशि
१	२	३	४
१	एटा	2575021920300—35	31920000
२		2575021960300—35	25536000
३		2575021970300—35	12768000
४		2575021980300—35	89376000
		योग	159600000
		महायोग	326800000

2— उक्त आवंटित धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ई—बैंक अन्तरण प्रणाली प्रक्रिया के अनुरूप सीधे जिले के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

3— उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 अनुदान संख्या—14 आयोजनागत मद (पूँजीगत व्यय) के अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार तथा निकायवार विवरण में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीषक के नामे डाला जायेगा।

4— कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर बी०एम०—४ पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०—४ पर बने सभी कालग अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।



- 5— यदि बी0एम०-4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।
- 6— आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना इस लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 7— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम०-4 तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-41, 43, 45 व 47 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

३००११२०१५

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज उच्चर प्रदेश।

संख्या: 1 / शा० / 101 / 1 / 2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन।
- 3—प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4—संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5—जिलाधिकारी, बांदा एवं एटा।
- 6—महालेखाकार सी०पी० सी०-२ उ०प्र० इलाहाबाद।
- 7—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
- 8—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 9—निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10—परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11—मुख्य विकास अधिकारी, बांदा एवं एटा।
- 12—अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद बांदा एवं एटा।
- 13—मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 14—अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी, बांदा एवं एटा।
- 15—तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

महेन्द्र नारायण

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।